

18<sup>04</sup>  
23

पत्रावली पेश हुई। वही अधिसूचना उपर  
वकील वारी को सुना गया। पत्रावली का  
द्वितीय पूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया  
गया। ग्रामिक रिपोर्ट की पालना  
रिपोर्ट में पेश बेटवाड जमाना के अनुसार  
पत्रावली स्वीकार योग्य होने से स्वीकार  
की जाती है। निर्णय पृथक से लिये  
जाकर शामिल पत्रावली हो। तदुपरांत  
रेकर्ड को पालना हेतु तद्वरी जारी  
हो।

पत्रावली फैसला सुनाए होकर  
द्वितीय पूर्वक से कम की जाकर कार्यवाही  
दस्तावेज हो।

सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) रेवदा

बेटवाड जमाना  
स्वीकार हो

Signature